प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

रिट अपील क्रमांक 28 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : बाबू अब्राहम एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 419 / 2011

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण: जी. के. गुप्ता एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 1 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : अनिल कुमार पिल्लई एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 2 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : एस. पी. सिंह ओगरे एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 3 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : अब्दुल अज़ीज़ खान एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 4 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : नरबद सिंह एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 5 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : विनोद कुमार मिश्रा एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 6 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : परदेशीगिरी गोस्वामी एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 7 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : डी. पी. शुक्ला एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 8 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : शेख जलील एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 9 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : भूपेन्द्र कुमार शुक्ला एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 10 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : मोहम्मद इस्मिल एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 11 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : द्वारका प्रसाद एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 12 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : एम. बी. श्रीवास्तव एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 13 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : अब्दुल रज़ाक एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 14 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : बालगोबिन्द दुबे एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 15 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : गायादीन शुक्ला एवं अन्यगण

रिट अपील क्रमांक 16 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : ए. के. द्विवेदी एवं अन्यगण

रिट अपील क्रमांक 29 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : सुरेन्द्र गुरु दीवान एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 30 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : नन्दकुमार गुप्ता एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 31 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : अनिल बाजपेयी एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 32 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : माधव नामदेव एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 34 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : शम्भूनाथ यादव एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 42 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : श्याम बिहारी तिवारी एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 47 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : अनिल कुमार वस्त्रकार एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 48 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : डी. के. तिवारी एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 49 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : प्रमोद कुमार गोडपल्लीवर एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 50 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : ईश्वर रजक एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 51 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : बलराम भट्ट एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 52 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : शिवकुमार श्रीवास एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 71 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : सरफुद्दीन एवं अन्यगण

रिट अपील क्रमांक 72 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : राजाराम भवे एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 73 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : धनिराम धुर्व एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 74 / 2012

अपीलार्थी : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : जगन्नाथ राठौर एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 75 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : आसाराम राठौर एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 351 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : बद्रीप्रसाद श्रीवास एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 352 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : रामावतार गुप्ता एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 353 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : आर. डी. दुबे एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 355 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : औध बिहारी तिवारी एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 356 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : राजेश गांधी एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 357 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : उदयसिंह एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 358 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : मोहम्मद नज़ीर एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 359 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : लक्ष्मण सिंह एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 360 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : मुश्ताक मौला अहमद एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 361 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : महेन्द्र कुमार श्रीवास एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 362 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : गिरीश कुमार देवांगन एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 363 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : प्रदीप असना एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 364 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : शेख मोहम्मद शफी कुरैशी

रिट अपील क्रमांक 365 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : मन्नुसिंह ठाकुर एवं अन्यगण

रिट अपील क्रमांक 366 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : अनिरुद्ध सिंह ठाकुर एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 367 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : के. पी. पटेल एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 368 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : मोहम्मद हनीफ एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 369 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : लक्ष्मीकान्त बेग राय एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 370 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : ईश्वर जायसवाल एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 371 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : कुलवंत सिंह खुराना एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 372 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : राम सिंह भोई एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 373 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : ईश्वर राठौर एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 374 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : राजेन्द्र गांधी एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 375 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : मातादीन यादव एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 376 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : रघुनाथ शर्मा एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 377 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : हीरालाल शर्मा एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 378 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : चमनलाल श्रीवास एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 379 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : एल. एन. जैन एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 380 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : कुलेश्वर दुबे एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 381 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : एस. आर. साहू एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 382 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : सचिदानन्द सेन एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 383 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : मोहम्मद अक़रम सिद्दीकी एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 384 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : श्रीमती कदम्बाई ठाकुर एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 385 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : राधेश्याम अवस्थी एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 386 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : शिवशंकर कश्यप एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 387 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : हिंचल द्विवेदी एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 388 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : एस. के. गुप्ता एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 389 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : चन्द्रसेन सिंह चंदेल एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 390 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : जनक सिंह ठाकुर एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 391 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : विष्णु हरि राठौर एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 392 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : राशिद अहमद एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 393 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : राम कुमार एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 394 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : रविन्द्र खुराना एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 395 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : शंकरलाल देवांगन एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 396 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : लोकेश राठौर एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 397 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : भारत कुमार चौरसिया एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 398 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : गुलाम नबी एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 399 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : के. पी. जांगड़े एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 400 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : भोला जायसवाल एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 401 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : मोतीराम निषाद एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 402 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : अब्दुल वहीद एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 403 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : रसिरामन पाण्डेय एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 404 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : रिफायतुल्ला एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 405 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : मंथीर राम साहू एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 406 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : उस्मान अली एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 407 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : ओ. पी. बाजपेयी एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 408 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : उत्तमचंद बेलानी एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 409 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : के. के. गिरी एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 410 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : डॉ. हेमलाल बंजारे एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 411 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : महमूद हसन एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 412 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : डी. सी. राय एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 413 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : अमर सिंह देवांगन एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 414 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : चंदूलाल यादव एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 415 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : गजरूप सिंह ठाकुर एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 416 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : सुरेन्द्र सिंह ठाकुर एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 417 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : रोहितलाल साहू एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 418 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : दौराम जगत एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 419 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : प्रकाश शर्मा एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 420 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : देवीसिंह एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 421 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : देविन्द्र कुमार गुप्ता एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 422 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : तरलोचन सिंह एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 423 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : वी. के. जैन एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 424 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : महादेव ठाकरे एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 425 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : सैयद गुलाम अली एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 426 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : हरिकिशन यादव एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 427 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : लक्ष्मी प्रसाद तिवारी एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 428 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : मनमोहन सिंह एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 429 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : तेजप्रताप पाण्डेय एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 430 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : तिहारू राम साहू एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 431 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : शेख शरीफुद्दीन एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 432 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : अनिल ठाकरे एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 433 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : रविन्द्र कुमार एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 434 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : हेतराम पटेल एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 435 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : श्रीमती जमुना देवी मरकाम एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 436 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : वी. के. गुप्ता एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 437 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : उमेश कुमार शुक्ला एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 438 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : मथुरा प्रसाद पाण्डेय एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 439 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : विजय त्रिपाठी एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 440 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : श्याम बिहारी हजारी एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट अपील क्रमांक 441 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : आर. एस. शुक्ला एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 442 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : इसरार अली एवं अन्य

रिट अपील क्रमांक 443 / 2012

अपीलार्थीगण : छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण : मोतीलाल शर्मा एवं अन्य

युगल पीठ : माननीय श्री अभय मनोहर सप्रे

तथा माननीय श्री जी. मिनहाजुद्दीन, न्यायाधीशगण।

रिट अपील अंतर्गत धारा 2(1) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्डन्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 सहपठित नियम 158(10) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियम, 2007।

श्री ए. गहरवार, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज्य की ओर से।

श्री आशीष श्रीवास्तव, अधिवक्ता, सी. आई. डी. सी. की ओर से।

श्री सुदीप जोहरी, अधिवक्ता, एम. पी. एस. आर. टी. सी. की ओर से।

श्री आर. एस. पटेल, श्री विनोद देशमुख तथा श्री बी. एल. डेम्ब्रा, अधिवक्तागण, निजी उत्तरवादियों की ओर से।

निर्णय एवं आदेश (मौखिक)

(दिनांक 16 जुलाई, 2012 को पारित किया गया)

माननीय श्री अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधीश द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. इस अपील में दिया गया निर्णय रिट अपील क्रमांक 419/2011, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 31, 32, 34, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 71, 72, 73, 74, 75, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442 तथा 443 / 2012 (कुल 127 मामले) के निस्तारण हेतु भी लागू होगा, क्योंकि इन सभी अपीलों में तथ्य एवं विधि के समान प्रश्न सम्मिलित हैं और ये सभी अपीलें दिनांक 4 जुलाई, 2011 को पारित आक्षेपित आदेश से उदभूत हुई हैं, जो रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6510 / 2009 तथा अन्य सम्बद्ध प्रकरणों में दिया गया था।

2. यह अपील रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6510 / 2009 के प्रत्यर्थी क्रमांक 1 और 2 द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खण्ड न्यायपीठ को अपील) अधिनियम, 2006 की धारा 2(1) तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियम, 2007 के नियम 158(1) के अंतर्गत, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6510 / 2009 अन्य सम्बद्ध प्रकरणों मे माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 4 जुलाई, 2011 के विरुद्ध दायर की गई है।

3. उक्त सामान्य आदेश दिनांक 4 जुलाई, 2011 द्वारा, माननीय एकल न्यायाधीश (रिट न्यायालय) ने रिट याचिकाकर्ता (यही प्रत्यर्थी क्रमांक 1) द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की और परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अनुपालन हेतु परमादेश रिट का आदेश जारी किया।

4. अतः इस अपील में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या माननीय एकल न्यायाधीश अपीलकर्ताओं के विरुद्ध रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करने में न्यायोचित थे, और यदि नहीं, तो इस अपील में क्या आदेश पारित किया जाना चाहिए।

5. विवाद को समझने के लिए जो रिट याचिका में और अब इस अपील में सम्मिलित है, आवश्यक है कि कुछ सुसंगत तथ्यों को उल्लेखित किया जाए।

6. प्रत्यर्थी क्रमांक 1 (रिट याचिकाकर्ता) तथा अन्य सम्बद्ध अपीलों के प्रत्यर्थी क्रमांक 1, सभी उस प्रासंगिक समय प्रत्यर्थी क्रमांक 2, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (संक्षेप में "**एम. पी. एस. आर. टी. सी.**") के कर्मचारी थे, जो कि मध्यप्रदेश राज्य द्वारा गठित किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. वर्ष 1985-86 में एम. पी. एस. आर. टी. सी. ने अपने कर्मचारियों के हित में एक योजना प्रारम्भ की जिसे **"कर्मचारी जमा निधि योजना"** (संक्षेप में **"क. जा. नि."**) कहा गया। (अनुलग्नक-पी-2)। यह योजना मूलतः एक वैधानिक योजना थी, जो सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 45 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर बनाई गई थी। इस योजना के अनुसार, एम. पी. एस. आर. टी. सी. का प्रत्येक कर्मचारी, जिसे अपने सेवा काल में वेतन की बकाया राशि, वेतन पुनरीक्षण, महँगाई भत्ता अथवा अतिरिक्त महँगाई भत्ता के रूप में कोई धनराशि प्राप्त हुई या प्राप्त होने वाली थी, उसे उस बकाया राशि का 50% क. जा. नि. योजना में नियोक्ता (एम. पी. एस. आर. टी. सी.) के पास जमा करना आवश्यक था, जो बदले में उस जमा राशि पर योजना में निर्धारित विधि के अनुसार कर्मचारी को ब्याज देगा। इस योजना की अन्य प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है क्योंकि वे इस अपील के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। यह योजना दिनाँक 31.03.2002 तक प्रभावी रही।

8. दिनांक 1.11.2000 को, मध्यप्रदेश राज्य का पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (संक्षेप में **"पुनर्गठन अधिनियम**) के प्रावधानों के अनुसार, तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। तत्पश्चात्, दिनांक 27.12.2002 को केन्द्रीय राज्य ने पुनर्गठन अधिनियम की धारा 58(3) के अंतर्गत एक आदेश पारित किया और एम. पी. एस. आर. टी. सी. को दिनांक 31.12.2002 से प्रभावी रूप से भंग कर दिया तथा उसकी परिसंपत्तियों और देनदारियों का विभाजन

एम. पी. एस. आर. टी. सी. और नवगठित निगम "छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन" (संक्षेप में **"सी. आई. डी. सी."**) के बीच किया, जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गठित किया गया था। इस प्रकार, तत्कालीन एम. पी. एस. आर. टी. सी. को दिनांक 31.3.2002 से प्रभावी रूप से भंग कर दिया गया और उसे मध्यप्रदेश राज्य में पुनः कार्य करने हेतु परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ केन्द्रीय राज्य द्वारा आदेश/अधिसूचना दिनांक 27.12.2002 के माध्यम से प्रदान की गईं, और इसी प्रकार सी. आई. डी. सी. को छत्तीसगढ़ राज्य में परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ प्रदान की गईं।

9. इसी पृष्ठभूमि में, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 (रिट याचिकाकर्ता) ने एम. पी. एस. आर. टी. सी., छत्तीसगढ़ राज्य तथा सी. आई. डी. सी. के विरुद्ध रिट याचिका दायर की, जिससे यह अपील उदभूत हुई, उसने एम. पी. एस. आर. टी. सी. के कर्मचारी रहते हुए ई. डी. एफ. योजना में अपनी जमा की गई धनराशि पर ब्याज की मांग की थी। उसका कहना था कि चूँकि उसने क. जा. नि. योजना के अनुसार धनराशि जमा की थी, जब यह योजना प्रभावी थी और जो दिनाँक 31.12.2002 से बहुत पहले की बात है, तथा उस जमा राशि पर ब्याज संचित होता रहा, किन्तु उसे भुगतान नहीं किया गया, यद्यपि उसने बार-बार एम. पी. एस. आर. टी. सी. से माँग की और इस कारण वह विवश होकर संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत उपर्युक्त तीनों पक्षकारों के विरुद्ध रिट याचिका दायर करने को बाध्य हुआ, जिससे यह अपील उदभूत हुई। उसका दावा था कि उसे विधि के अनुसार क. जा. नि. योजना के प्रावधानों के तहत अपनी जमा राशि पर संचित ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है और यह उत्तरदायित्व उत्तरवादीगण पर संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से है। अन्य शब्दों में, उसकी शिकायत यह थी कि उसे अपनी जमा राशि पर संचित ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे उसे प्रत्यर्थी क्रमांक 1, 2 या 3 में से कोई भी भुगतान करे, संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. अपीलकर्ता तथा प्रत्यर्थी क्रमांक 2 (जिन्हें रिट याचिका में प्रत्यर्थी बनाया गया था) ने रिट याचिका का विरोध किया। उन्होंने, तथापि, रिट याचिकाकर्ता (कर्मचारी) के इस अधिकार का विवाद नहीं किया कि उसे अपनी जमा राशि पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। उनके द्वारा रिट याचिका में मुख्य रूप से यही विवाद किया जा रहा था कि इन तीनों में से कौन इस दायित्व को वहन करने के लिए उत्तरदायी है? अन्य शब्दों में, यदि एम. पी. एस. आर. टी. सी. यह तर्क कर रहा था कि इस ब्याज का भुगतान करने का दायित्व छत्तीसगढ़ राज्य और सी. आई. डी. सी. पर संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है और एम. पी. एस. आर. टी. सी. को इससे बाहर रखा जाए, तो छत्तीसगढ़ राज्य और सी. आई. डी. सी. यह तर्क कर रहे थे कि केवल एम. पी. एस. आर. टी. सी. को ही इस दायित्व को वहन करना चाहिए, केन्द्रीय सरकार के आदेश/अधिसूचना के आलोक में। एम. पी. एस. आर. टी. सी. ने कुछ विधिक आपत्तियाँ भी उठाईं, जैसे कि रिट याचिकाकर्ता के पास वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है कि वह अपनी शिकायत किसी

न्यायाधिकरण या तथ्य-निर्धारण निकाय के समक्ष प्रस्तुत करे, क्योंकि इसमें विवादित तथ्य सम्मिलित हैं जिनकी जाँच आवश्यक है और ऐसे मुद्दे रिट याचिका में नहीं सुने जा सकते। उन्होंने यह भी कहा कि यदि रिट याचिका गुण-दोष पर विचारणीय मानी जाती है, तो केन्द्रीय सरकार भी आवश्यक पक्षकार है और उसे रिट याचिका में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

11. रिट न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया। यह कहा गया कि जहाँ तक रिट याचिकाकर्ता द्वारा क. जा. नि. योजना के अंतर्गत की गई जमा राशि पर ब्याज भुगतान का दायित्व है, वह केवल छत्तीसगढ़ राज्य और सी. आई. डी. सी. पर है और अतः उन्हें रिट याचिकाकर्ता को छह माह के भीतर ब्याज की राशि का भुगतान करना होगा। अन्य शब्दों में, रिट न्यायालय ने यह माना कि एम. पी. एस. आर. टी. सी. रिट याचिकाकर्ता के ब्याज भुगतान संबंधी दायित्व को वहन करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि यह दायित्व छत्तीसगढ़ राज्य और सी. आई. डी. सी. का है, जिन्हें रिट याचिकाकर्ता को धनराशि का भुगतान करके इस दायित्व का निर्वहन करना होगा। इस आदेश के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य और सी. आई. डी. सी. ने असंतोष व्यक्त किया और इन अपीलों को दायर किया। जहाँ तक रिट याचिकाकर्ता का प्रश्न है, वह रिट न्यायालय द्वारा जारी किए गए आक्षेपित रिट से संतुष्ट है क्योंकि उसने आदेश के किसी भी भाग के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इस प्रकरण के निर्विवाद तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, इस अपील में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या रिट न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचने में न्यायोचित था कि तत्कालीन एम. पी. एस. आर. टी. सी. के कर्मचारी द्वारा जमा राशि पर संचित ब्याज का भुगतान करने का दायित्व छत्तीसगढ़ राज्य अथवा/और सी. आई. डी. सी. पर है या एम. पी. एस. आर. टी. सी. पर? अन्य शब्दों में, इस अपील में विचारणीय प्रश्न यह है कि उपर्युक्त तीन प्रत्यर्थीगण में से कौन क. जा. नि. योजना में रिट याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज भुगतान करने के दायित्व को वहन करने के लिए उत्तरदायी है।

13. पक्षकारों के अधिवक्ताओं का तर्क सुनकर और प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस अपील को स्वीकार करने और अधीनस्थ आदेश में आवश्यक संशोधन करने के लिए प्रवृत्त हैं, जैसा कि आगे उल्लिखित है।

14. उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, पुनर्गठन अधिनियम की धारा 58 के प्रावधानों तथा दिनांक 27 दिसम्बर 2002 को केन्द्रीय राज्य द्वारा धारा 58(3) के अंतर्गत पारित आदेश/अधिसूचना का उल्लेख करना आवश्यक है।

(1)

धारा 58, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000

58. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, राज्य सड़क परिवहन निगम और राज्य भांडागारण निगम, आदि के बारे में उपबंध-

(1) विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य के लिए गठित निम्नलिखित निगमित निकाय, अर्थात् :-

(क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) के अधीन गठित राज्य विद्युत बोर्ड ;

(ख) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) के अधीन स्थापित राज्य सड़क परिवहन निगम; और

(ग) भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) के अधीन स्थापित राज्य भाण्डागार निगम, नियत दिन से ही उन क्षेत्रों में जिनकी बाबत उस दिन के ठीक पहले वे कार्य कर रहे थे, इस धारा के उपबंधों और ऐसे निगमित निकायों के कार्य करने के लिए उन इन्तजामों के, जो उत्तरवर्ती राज्यों के बीच आपसी करार पाया जाए, जिसके न होने पर ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाएं, कार्य करते रहेंगे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन बोर्ड या निगम की बाबत जारी किए गए किन्हीं निदेशों के अंतर्गत ऐसा निदेश भी होगा कि वह अधिनियम, जिसके अधीन वह बोर्ड या वह निगम गठित हुआ था, उस बोर्ड या निगम को लागू होने में ऐसे अपवादों और उपांतरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट बोर्ड या निगम, ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा, नियत करे, कार्य करना बंद कर देगा और उस तारीख से विघटित समझा जाएगा ; तथा ऐसे विघटन पर उसकी आस्तियों, अधिकारों तथा दायित्वों का उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच प्रभाजन ऐसी रीति से किया जाएगा जो,

यथास्थिति, बोर्ड या निगम के विघटन के एक वर्ष के भीतर उनमें करार पाई जाए, या यदि कोई करार न हो पाए तो ऐसी रीति से किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, अवधारित करे :

परंतु किसी पब्लिक सेक्टर की कोयला कंपनी द्वारा बोर्ड को प्रदाय किए गए कोयला के असंदत्त शोध्यों की बाबत उक्त बोर्ड के किन्हीं दायित्वों को विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य के उत्तरवर्ती राज्यों के क्रमशः गठित उत्तरवर्ती संगठनों के बीच अनंतिम रूप से प्रभाजित किया जाएगा या इस उपधारा के अधीन बोर्ड के विघटन के लिए नियत तारीख के पश्चात् ऐसी रीति में जो उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारों के बीच करार पाई जाए, ऐसे विघटन से एक मास के भीतर अथवा ऐसा कोई करार नहीं किया जाता है तो ऐसी रीति में प्रभाजित किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, दायित्वों के समाधान और अन्तिम रूप दिए जाने के अधीन अवधारित करे जो उत्तरवर्ती राज्यों के बीच पारस्परिक करार के द्वारा ऐसे विघटन की तारीख से तीन मास के भीतर पूरा किया जाएगा या ऐसे करार की असफलता की दशा में केन्द्रीय सरकार के निदेश द्वारा प्रभाजित किया जाएगा :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परन्तु यह और कि पब्लिक सेक्टर की कोयला कंपनी द्वारा बोर्ड को प्रदाय किए गए कोयला के असंदत्त शोध्यों के बकाया पर दो प्रतिशत की दर से ब्याज जो रोकड़ जमा ब्याज से उच्चतर है तब तक संदत्त किया जाएगा जब तक कि उत्तरवर्ती राज्यों में इस उपधारा के अधीन बोर्ड के विघटन के लिए नियत तारीख को या उसके पश्चात् गठित संबद्ध उत्तरवर्ती संगठनों द्वारा ऐसे शोध्यों का समापन नहीं कर दिया जाता है ।

(4) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंधों की किसी बाबत का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह, यथास्थिति, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार या छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार को, नियत दिन को या उसके पश्चात् किसी समय राज्य विद्युत बोर्ड या राज्य सड़क परिवहन निगम या राज्य भाण्डागार निगम से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उस राज्य के लिए ऐसा बोर्ड या निगम गठित करने से निवारित करती है ;

और यदि इन राज्यों में से किसी में ऐसे बोर्ड या निगम का इस प्रकार गठन उपधारा (1) में निर्दिष्ट बोर्ड या निगम के विघटन से पहले किया जाता है तो-

(क) उस राज्य में विद्यमान बोर्ड या निगम से उसके सभी या किन्हीं उपक्रमों, आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों को ग्रहण करने के लिए नए बोर्ड या नए निगम को समर्थ बनाने के लिए उपबंध केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा किया जा सकेगा; और -

(ख) विद्यमान बोर्ड या निगम के विघटन पर,-

(i) कोई आस्ति, अधिकार और दायित्व जो अन्यथा उपधारा (3) के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस राज्य को संक्रांत हो जाते, उस राज्य की बजाय नए बोर्ड या नए निगम को संक्रांत हो जाएंगे ;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) कोई ऐसा कर्मचारी, जो उपधारा (5) के खंड (i) के साथ पठित उपधारा (3) के अधीन उस राज्य को अन्यथा स्थानांतरित हो जाता या उसके द्वारा पुनः नियोजित किया जाता, उस राज्य को स्थानांतरित या उसके द्वारा पुनः नियोजित किए जाने के बजाय नए बोर्ड या नए निगम को स्थानांतरित हो जाएगा या उसके द्वारा पुनः नियोजित किया जाएगा ।

(5) उत्तरवर्ती राज्यों के बीच उपधारा (3) के अधीन हुए करार में और केन्द्रीय सरकार द्वारा उस उपधारा के अधीन अथवा उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन किए गए आदेश में उपधारा (1) में निर्दिष्ट बोर्ड या निगम के किसी कर्मचारी के-

(i) उपधारा (4) के अधीन करार या उस उपधारा के अधीन किए गए आदेश की दशा में, उत्तरवर्ती राज्यों को या उनके द्वारा ;

(ii) उस उपधारा के खंड (क) के अधीन किए गए आदेश की दशा में, उपधारा (4) के अधीन गठित नए बोर्ड या नए निगम को या उसके

द्वारा, स्थानांतरण या पुनः नियोजन के लिए और धारा 64 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे स्थानांतरण या पुनः नियोजन के पश्चात् ऐसे कर्मचारियों को लागू सेवा के निबंधनों और शर्तों के लिए भी उपबंध किया जा सकेगा।

(2)

आदेश/अधिसूचना दिनांक 27 दिसम्बर 2002 — केंद्र सरकार

"सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 2002

एस.ओ. 1373 (ई) — जबकि भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1365 (ई) दिनांक 26-12-2002, भारत राजपत्र (विशेष), भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) दिनांक 26 दिसम्बर 2002 में प्रकाशित की गई थी, जो मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 28, वर्ष 2000) की धारा 58(3) के अंतर्गत जारी की गई थी, जिसके द्वारा केन्द्रीय राज्य ने दिनांक 31 दिसम्बर 2002 को वह तिथि नियुक्त की जिस पर मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का कार्य समाप्त हो जाएगा और वह भंग माना जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और जबकि मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ उत्तराधिकारी राज्यों के बीच उक्त निगम की परिसंपत्तियों, अधिकारों और देनदारियों के विभाजन के लिए कोई समझौता नहीं हुआ है।

अब, अतः, मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 58(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय राज्य निम्नलिखित प्रकार से मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की परिसंपत्तियों, अधिकारों और देनदारियों का विभाजन मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच करता है, अर्थात्:—

(1) मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का क्षेत्रीय स्टाफ, बसें और भंडार दिनांक 1 नवम्बर 2000 की स्थिति के अनुसार 'जैसा है जहाँ है' के आधार पर विभाजित किया जाएगा। मुख्यालय का स्टाफ छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच 18:82 के अनुपात में बाँटा जाएगा। संबंधित राज्य अपने हिस्से के स्टाफ के लिए विघटन की तिथि से उत्तरदायी होंगे।

(2) चालू परिसंपत्तियों (बसें और भंडार को छोड़कर) तथा देनदारियों, जिनमें ऋण, अग्रिम आदि सम्मिलित हैं, का विभाजन मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सुझाए गए सूत्रों के मध्यवर्ती सूत्र के आधार पर किया जाएगा, अर्थात् छत्तीसगढ़ द्वारा सुझाए गए 18:82 और मध्यप्रदेश द्वारा सुझाए गए 26.49:73.51 के बीच।

(3) विभाजन पूर्ण होने तक संक्रमण काल के लिए मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बोर्ड में छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रतिनिधि लिया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) विघटन की तिथि तक स्टाफ का वेतन, जिसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना भी सम्मिलित है, अविभाजित निगम द्वारा भुगतान किया जाएगा।

फा. संख्या आर टी-17020/14/2002-टी

अलोक रावत, संयुक्त सचिव"

15. यदि हम इस मुद्दे की जाँच करें, पुनर्गठन अधिनियम की धारा 58 के उद्देश्य को दिनांक 27 दिसम्बर 2002 की अधिसूचना/आदेश की धाराओं के साथ ध्यान में रखते हुए, तो केन्द्रीय राज्य की अधिसूचना/आदेश से चार प्रमुख परिणाम स्पष्ट रूप से निकलते हैं। **प्रथम**, एम. पी. एस. आर. टी. सी. जैसा कि वह दिनाँक 31.12.2002 तक अस्तित्व में था, अपनी सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों सहित भंग हो गया और दिनाँक 31.12.2002 के बाद कार्य करना बंद कर दिया। **द्वितीय**, एम. पी. एस. आर. टी. सी. की सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ, जो उनके पास दिनाँक 31.12.2002 को थीं, एम. पी. एस. आर. टी. सी. और सी. आई. डी. सी. के बीच अधिसूचना/आदेश की धारा (1) से धारा (4) में निहित प्रावधानों के अनुसार विभाजित कर दी गईं।

तृतीय, जहाँ तक एम. पी. एस. आर. टी. सी. के ऋण और अग्रिमों से संबंधित देनदारियों का प्रश्न है, उसे धारा 2 में निर्दिष्ट सूत्र के अनुसार एम. पी. एस. आर. टी. सी. और सी. आई. डी. सी. के बीच विभाजन हेतु गणना करना था। **चतुर्थ**, जहाँ तक एम. पी. एस. आर. टी. सी. के कर्मचारियों के वेतन भुगतान से संबंधित देनदारियों का प्रश्न है, जिसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (स्वै.से.यो.) का कोई भी भुगतान विघटन की तिथि तक सम्मिलित है, उसे केवल एम. पी. एस. आर. टी. सी. द्वारा ही धारा 4 के अनुसार भुगतान करना था।

16. कोई विवाद नहीं कर सकता कि जब किसी नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को उसके वेतन बकाया, या वेतन संशोधन, या महँगाई भत्ता/अतिरिक्त महँगाई भत्ता के दावे के संबंध में कोई भुगतान किया जाता है, तो उसे **"उसका वेतन"** की ओर किया गया भुगतान माना जाएगा। अन्य शब्दों में, ऐसा भुगतान जब किया जाता है, तो उसे **"वेतन बकाया"** की ओर किया गया भुगतान माना जाना चाहिए।

17. यह विवादित नहीं है कि क. जा. नि. योजना का प्रवर्तन एम.पी.एस.आर.टी.सी. द्वारा वर्ष 1985-86 में अपने कर्मचारियों के लाभार्थ किया गया था और यह दिनाँक 31.03.2002 तक क्रियाशील रही। इस योजना में एम.पी.एस.आर.टी.सी. के सभी कर्मचारियों ने अपने वेतन संशोधन तथा महँगाई भत्ते आदि के कारण प्राप्त वेतन बकाया को जमा किया। अतः स्पष्ट है कि इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा जमा किए गए वेतन बकाया और अतिरिक्त महँगाई भत्ते पर ब्याज भुगतान की देयता "वेतन" के स्वरूप में होगी जैसा कि खण्ड 4 में परिभाषित है और यह देयता एम.पी.एस.आर.टी.सी. द्वारा अपने कर्मचारियों को चुकाई जानी थी। यह भी इस कारण कि ऐसी सभी देयताएँ दिनाँक 31.12.2002 से पूर्व उत्पन्न हुई थीं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. उपरोक्त चर्चा के आलोक में हमें कोई संकोच नहीं है यह कहने में कि याचिकाकर्ता का दावा ऐसे जमा पर ब्याज के संबंध में केवल एम.पी.एस.आर.टी.सी. द्वारा ही संतुष्ट किया जाना था जैसा कि आदेश/अधिसूचना के खण्ड 4 में प्रावधानित है। वास्तव में, जैसा कि ऊपर देखा गया, यह देयता विघटन की तिथि दिनाँक 31.12.2002 से पूर्व की अवधि की थी, इसे केवल एम.पी.एस.आर.टी.सी. द्वारा ही वहन किया जाना था और किसी अन्य हितधारक द्वारा नहीं, विशेषकर यहाँ अपीलकर्ताओं द्वारा तो बिल्कुल नहीं।

19. अब एम.पी.एस.आर.टी.सी. के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क पर आते हैं कि जिस रिट याचिका से यह अपील उत्पन्न हुई वह ग्राह्य नहीं थी और वह एक से ज्यादा कारणों से अस्वीकार्य है। प्रथम, यह मुद्दा एम.पी.एस.आर.टी.सी. द्वारा रिट न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया

गया था और अब पहली बार अपील में उठाया जा रहा है। इस परिस्थिति में इसे अपील में उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती और वह भी ऐसी अपील में जो रिट याचिका के एक प्रत्यर्थी द्वारा अन्य प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध दायर की गई हो। द्वितीय, इस मामले में सम्मिलित मुद्दा मूलतः अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों तथा उन प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा पारित आदेश की व्याख्या से संबंधित है। जिसे रिट याचिका में देखना अनुज्ञेय है और अंततः, इसमें कोई विवादित तथ्यात्मक प्रश्न सम्मिलित नहीं है जिसके लिए तथ्यात्मक जाँच की आवश्यकता हो।

20. जहाँ तक एम.पी.एस.आर.टी.सी. के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिट याचिका में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाए जाने के संबंध में उठाई गई आपत्ति का प्रश्न है, उसका भी कोई औचित्य नहीं है और वह एक से ज्यादा कारणों से अस्वीकार्य है, प्रथम, यह आपत्ति भी एम.पी.एस.आर.टी.सी. द्वारा रिट न्यायालय के समक्ष नहीं उठाई गई थी; द्वितीय, एम.पी.एस.आर.टी.सी. स्वयं भी एक प्रत्यर्थी होने के नाते ऐसी आपत्ति उठाने का अधिकार नहीं रखता है उस अपील में जो सह-प्रत्यर्थी द्वारा आपस में दायर की गई हो; और अंततः, किसी भी स्थिति में हमारे विचार में केंद्र सरकार न तो आवश्यक और न ही उचित पक्षकार है रिट याचिका में। इसका कारण यह है कि एक बार जब केंद्र सरकार द्वारा धारा 58(3) के अंतर्गत आदेश पारित कर दिया जाता है तब उस आदेश के पक्षकारों को अपने अधिकार आपस में उसी आदेश/अधिसूचना के अनुसार निर्धारित करने होते हैं। केवल तब जब केंद्र सरकार के आदेश/अधिसूचना को किसी हितधारक द्वारा चुनौती दी जाती है, तब केंद्र सरकार को प्रत्यर्थी पक्षकार के रूप में शामिल करना आवश्यक हो सकता है। यहाँ ऐसा मामला नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. एम.पी.एस.आर.टी.सी. के विद्वान अधिवक्ता ने तत्पश्चात यह तर्क दिया कि चूँकि क. जा. नि. योजना के अनुसार राशि प्रत्येक प्रभाग स्तर पर काटी जा रही थी और इसलिए देयता अपीलार्थीगण द्वारा आदेश/अधिसूचना की धारा 2 के अनुसार साझा की जानी चाहिए क्योंकि काटी गई राशि उसी प्रभाग में रही जो अब छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित हो गया है। हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं।

22. जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रश्नगत देयता खण्ड 4 में आती है क्योंकि यह विघटन की तिथि तक वेतन भुगतान से संबंधित है, जबकि अन्य देयताएँ जैसे ऋण और अग्रिम का संबंध आदेश/अधिसूचना के खण्ड 2 से है। अतः यह स्पष्ट है कि वेतन भुगतान से संबंधित देयताओं और वेतन के अतिरिक्त अन्य देयताओं के बीच भेद किया गया है। चूँकि यह मामला वेतन से संबंधित देयता का है अतः यह खण्ड 4 द्वारा शासित होगा और खण्ड 2 में नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त, जैसा कि अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने योजना से सही रूप में इंगित किया कि सभी

प्रभागीय प्रधान कार्यालयों द्वारा कटौती के बाद संपूर्ण राशि भोपाल प्रधान कार्यालय (मध्यप्रदेश) को भेजी जाती थी जैसा कि क. जा. नि. योजना में प्रावधानित है और इसलिए राशि सदैव भोपाल स्थित एम.पी.एस.आर.टी.सी. के प्रधान कार्यालय में रहती थी और प्रभागीय कार्यालय में नहीं। इन सभी कारणों से, तथ्यात्मक और विधिक दोनों दृष्टि से, यह तर्क बलहीन है और तदनुसार अस्वीकार किया जाता है।

23. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में हम रिट न्यायालय द्वारा दी गई तर्कसंगति और निष्कर्ष को स्वीकार नहीं कर सकते जो आदेश/अधिसूचना के खण्ड 4 के उल्लंघन करती है और इसलिए उसे आपस्त के जाने योग्य है। इसे तदनुसार आपस्त किया जाता है।

24. उपर्युक्त चर्चा के परिणामस्वरूप सभी अपीलें सफल होती हैं और आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती हैं। दिनांक 4 जुलाई, 2011 का आक्षेपित समान आदेश तदनुसार इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि यह घोषित किया जाए कि अपीलकर्ता अर्थात् 'छत्तीसगढ़ राज्य' और 'सीआईडीसी' याचिकाकर्ता द्वारा ईडीएफ योजना के अंतर्गत माँगी गई ब्याज देयता वहन करने और भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं और इसके स्थान पर यह घोषित और निर्देशित किया जाता है कि 'एम.पी.एस.आर.टी.सी.' (प्रत्यर्थी संख्या 2) ही उत्तरदायी है और रहेगा याचिकाकर्ता द्वारा क. जा. नि. योजना के अंतर्गत की गई जमा राशि पर उत्पन्न ब्याज देयता वहन करने और भुगतान करने के लिए, जिसमें क. जा. नि. योजना से उत्पन्न सभी प्रकार की देयताएँ सम्मिलित हैं उत्तरदायी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. एम.पी.एस.आर.टी.सी. को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक याचिकाकर्ता के दावों का सत्यापन करे और याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई जमा राशि का उचित सत्यापन करने के बाद क. जा. नि. योजना में निर्धारित विधि के अनुसार ब्याज की गणना करे और तत्पश्चात प्रत्येक याचिकाकर्ता को वह राशि अदा करे जो गणना के अनुसार देय और भुगतान योग्य पाई जाए।

26. यह कार्य यथाशीघ्र किया जाए, अधिमानतः इस आदेश की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर, और तदनुसार प्रत्येक याचिकाकर्ता को भुगतान किया जाए।

27. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

.

हस्ताक्षर/–
(अभय मनोहर सप्रे)
न्यायाधीश

हस्ताक्षर/–
(जी. मिनहाजुद्दीन)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By:- Miss Anjali Singh Chouhan (Advocate)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur